Usg 101
21/9/2021

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट नं०-1 लखनऊ

जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 2203/2020
मु०अ०सं०- 600/2019
धारा- 147, 148, 149, 152, 307, 323, 504, 506, 332, 353, 188, 435, 436, 120बी, 427, भा०द०वि० धारा 3 एवं 4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 7 क्रि०लॉ०अ०एक्ट
थाना- हजरतगंज
जिला- लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य
बनाम-
श्रीमती सदफ जाफर

आदेश दिनांक 18-09-2021 कि छायाप्रति संलग्न है।

Scanned with CamScanner

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, लखनऊ।

CNR No. UPLKO 10052232020
जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2203/2020

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, लखनऊ

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमती सदफ जाफर आयु लगभग 43 वर्ष पत्नी आबिद अब्बासी, निवासी–506 कालिन्दी विला, सुषमा हॉस्पिटल के सामने, थाना गोमती नगर, जनपद लखनऊ।

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्याः 600/2019
धारा–147,148,149,152,307,323,504,506,332,353, 188,435,436,120बी,427 भा0द0सं0,
धारा 3 एवं 4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनिम एवं धारा 7 कि0लॉ0ए0ऐक्ट,
थानाः हजरतगंज, लखनऊ

18–09–2021

प्रार्थी उ0प्र0 राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, लखनऊ द्वारा की ओर से मुकदमा अपराध संख्याः 600/2019, धारा–147,148,149,152,307,323,504,506,332,353,188,435,436,120बी,427 भा0द0सं0, धारा 3 एवं 4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनिम एवं धारा 7 कि0लॉ0ए0ऐक्ट, थानाः हजरतगंज, लखनऊ के प्रकरण में विपक्षी श्रीमती सदफ जाफर को दिनांक 04–01–2020 को प्रदत्त जमानत के निरस्तीकरण हेतु सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो अन्तरण के उपरान्त निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

उ0प्र0 राज्य की ओर से अपने प्रार्थना–पत्र में यह कहा गया है कि विपक्षी श्रीमती सदफ जाफर एवं अन्य के विरुद्ध सी0ए0ए0/एन0आर0सी0 के विरोध में एकत्र होकर विधि विरुद्ध भीड़ में शामिल होकर आगजनी, पथराव व पुलिस बल पर जानलेवा हमला व सार्वजनिक/निजी सम्पत्ति की तोड़फोड़ किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए मु0अ0सं0 600/2019, धारा– 147,148,149,152,307,323,504,506,332,353,188,435, 436,120बी,427 भा0द0सं0, धारा 3 एवं 4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनिम एवं धारा 7 कि0लॉ0ए0ऐक्ट, थाना हजरतगंज, लखनऊ में पंजीकृत हुआ, जिसमें विपक्षी श्रीमती सदफ जाफर द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 9055/2019 प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 04–01–2020 को इस न्यायालय से इस शर्त के अधीन स्वीकृत हुआ कि–(1) अभियुक्ता विवेचक द्वारा आहूत किये जाने की स्थिति में उपस्थित होंगी तथा विवेचना में सहयोग करेंगी। (2) अभियुक्ता किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं होंगी। (3) अभियुक्ता प्रकरण में घटनाक्रम से सम्बन्धित किसी भी साक्षी को किसी भी रूप में प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगी। किन्तु विपक्षी द्वारा जमानत प्राप्त होने के उपरान्त जमानत की शर्तो के उल्लघंन में दिनांक 17–01–2020 व दिनांक

Scanned with CamScanner

24–01–2020 को चौकी क्षेत्र सतखण्डा, घण्टाघर तिराहा, थाना ठाकुरगंज में धारा 144 दं0प्र0सं0 का आदेश लागू होने के बाद भी सीएए/एनआरसी के विरोध में एकत्र विधि विरुद्ध भीड़ में सम्मिलित होकर अवैध धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों को उत्प्रेरित व उत्साहित किया, जिसपर थाना ठाकुरगंज में अपराध संख्या 24/2020, अन्तर्गत धारा 147,145,188,283 व मु0अ0सं0 38/20 धारा 145,147,188,283,353 भा0द0सं0 व 7 सीएलए ऐक्ट के अधीन अभियोग पंजीकृत कराया। विपक्षी का उपरोक्त कृत्य जमानत आदेश दिनांकित 04–01–2020 की शर्त संख्या–2 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए विपक्षी की जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी मो0 शोएब की ओर से प्रार्थना–पत्र के विरुद्ध अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर कहा गया है कि वह एक नामा एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता है, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है। इसके अतिरिक्त वह कवि, कलाकार, स्कूल टीचर एवं ईटीवी भारत की अनुवादक भी है। इसके अतिरिक्त वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता भी रही है और वर्तमान में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक भी है। वह एक कानून पसन्द महिला है और उन्हें पुलिस द्वारा गलत तरीके प्रस्तुत प्रकरण में हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से फंसाया गया है, क्योंकि वह सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करती है। प्रस्तुत जमानत निरस्तीकरण याचिका भी उसे हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से उसकी आवाज दबाने के लिए प्रस्तुत की गयी है। कथित थाना ठाकुरगंज में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत मु0अ0सं0 24/2020 एवं 38/2020 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुई हैं। पुलिस द्वारा उसका फर्जी आपराधिक इतिहास बनाने के उद्देश्य से प्रकरण में फंसाया जा रहा है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह विवेचना में पूर्ण सहयोग करने को तत्पर है। अपने कथन के समर्थन में विभिन्न उच्च न्यायालयों की विधि व्यवस्थायें उद्धृत की गयी हैं और अभियोजन के प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रवली का सम्यक् अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अभियुक्त को दिनांक 04–01–2020 को दिये गये जमानत आदेश को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है और कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा जमानत आदेश दिनांकित 04–01–2020 की शर्तों का उल्लंघन किया गया है और उनके द्वारा 17–01–2020 एवं 24–01–2020 को पुनः विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होकर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसके विरुद्ध दो मुकदमे भी पंजीकृत किये गये हैं। अभियुक्त का कहना है कि भारत एक जनतांत्रिक देश है और सबको धरना प्रदर्शनका संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही इस को कहा गया है कि शान्तिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी तक की विवेचना में कोई अपराध साबित नहीं

Scanned with CamScanner

पाया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और उसके द्वारा जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। अभियुक्ता की ओर से विभिन्न उच्च न्यायालयों की विधि व्यवस्था उद्धृत की गयी हैं। जिनमें यह कहा गया है कि केवल मुकदमा दर्ज होने से ही जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है। जबकि अभी विवेचना होना बाकी है। प्रस्तुत प्रकरण में एक मुकदमा एनआरसी के विरोध प्रदर्शन हेतु दर्ज हुआ था और अभियुक्त उसमें नामजद नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते अभियोजन का प्रार्थना–पत्र वास्ते निरस्तीकरण जमानत विपक्षी स्वीकार होने योगय नहीं हैं। तद्नुसार प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अभियोजन का प्रार्थना–पत्र, वास्ते निरस्तीकरण जमानत आदेश विपक्षी दिनांकित 04–01–2020, **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः 18–09–2021

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1,
लखनऊ।

Comp. by-

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रधान लिपिक
जिला एवं सत्र न्यायालय
लखनऊ
21/9/2021

Scanned with CamScanner